

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

कैलाशचन्द्र बनाम मंगीलाल
केस मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 04 सन 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
03/19	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. सबर. कोद जंच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाते।</p> <p>प्रार्थी कैलाशचन्द्र पिता मंगीराम धाकड निवासी राकरदा तह. रावतभाटा ने ग्राम तम्बोलिया स्थित खेतदारी की आरजी नम्बर 28 रकबा 1.08 एवं मंजूर खेतदारी एच. आ. नं. 27 रकबा 1.08 हे.</p> <p>की पत्थरगद्दी करायें जाने हेतु नितेदन किया है। उक्त आरजी प्रार्थी के खेतदारी एवं खेत दर्ज रेकार्ड हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम तम्बोलिया स्थित आरजी नम्बर 28 रकबा 1.08 हे. एच. आ. नं. 27 रकबा 1.08 हे.</p> <p>की बिना किसी के फलजे में दरवाजा नहीं बिलो. सेटलमेंट नमूने अनुसार पत्थरगद्दी करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगद्दी सच्य प्रार्थी पहन करेगे। कमिश्नर शुल्क 1000/- रुपए अक्षरे एक हजार मध्य प्रार्थी से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को निरत्रा जावे कि पक्षकाराण को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आरजी की पत्थरगद्दी की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेडा करे पालना प्राप्त हो। पत्रावली केसल शुमार हेकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

